## दिल्ली विधान सभा तिधवालय समाचार भाग-2

§विथायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धिम सामान्य जानकारी § वृहस्पतिवार, ०५ जून, १९९८ / ज्येष्ठ १4, १९२० । १००

संख्या : 40%

## सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली दिधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 3. 6. 1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह ततम्मान त्यित करना है कि दिल्ली विधान तमा के माननीय सदस्य ची. प्रेम सिंह को उनके अन्य समर्थकों के साथ पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवङ्गा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रथम बरक पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने आज अर्थात् दिनांक 1. 6. 98 को अपराहन 12. 56 बजे नज़रबंद किया नया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 1. 6. 98 को अपराह्न 1. 20 वजे पुलित थाना संतद मार्ग, नई दिल्ली से रिष्टा कर दिया गया ।"

> पी. एन. गुप्ता स चिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART - II

( GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS ) Thursday, June 04, 1998 / Jyaishtha 14, 1920 (Saka)

No.401

## DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message of Dy. Commr. of Police, New Delhi District, New Delhi addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received on 03.06.1998 :-

I have the honour to inform you that Ch. Prem Singh, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at 1st barricade in front of P.S. Parliament Street, New Delhi at 12.56 P.M. today i.e. 01.06.1998.

He was released at 13.20 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 01.06.1998. P.N. GUPTA

SECRETARY

1- STATE OF THE ST